

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

संख्या:ए०ई०-2/03/नि०वि०-1/परिवीक्षा अवधि/495

दिनांक: 12.03.2019

कार्यालय आदेश

MSO Admn.(Vol-I) के प्रस्तर 7.5 में निहित प्रावधानों के अनुसार खंडीय लेखाकार के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा। निम्नलिखित खंडीय लेखाकार की विस्तारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है। खंडीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकने के कारण उपर्युक्त वर्णित प्रस्तर के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि तक परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जाती है:-

क्रम सं०	नाम	व्य०सं०	विस्तारित परिवीक्षा अवधि की तिथि
1.	श्री अंबेश प्रताप सिंह	1437	02.06.2019

उपमहालेखाकार/डीएसीसी

संख्या:ए०ई०-2/03/नि०वि०-1/परिवीक्षा अवधि/3925-28

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. उपमहालेखाकार/डीएसीसी (प्रकोष्ठ), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आईटीसीजी अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. सूचना पट।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1